NC-11 शंकरलाल बनाम किशनलाल आदि

दिनांक 20/10/16

कार्यालय टिप्पणी

13/10/22 [illegible]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

[illegible] 19/11/22

अभिभाषक [illegible]

वहिकार [illegible]

कार्यालय [illegible]

कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः कार्यावली

पूर्वानुसार दिनांक 6/12/22 को पेश हो।

पत्रावली अगले दिनांक 6/12/22 [illegible]

[illegible] 09/1/23 को पेश हो।

03/01/23 पत्रावली पर आदेश पारित हुआ। वकील पक्षकार व अप्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली पर [illegible] व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद कोष्ठक कुलता [illegible] निर्णय हेतु पत्रावली प्रार्थी को [illegible] मूलवाद में छपे अधिकारों को [illegible] पाने की अधिकारी है अथवा [illegible] मूलवाद में निर्धारित किए जाने वाले बिन्दु पर प्रश्न है अस्थायी निषेधाज्ञा का सन्तुलन लाभ दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन लाभ अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

NC-11 शंकरलाल बनाम किशनलाल आदि

दिनांक 20/10/16

कार्यालय टिप्पणी

[illegible] निषेधाज्ञा को [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] अस्थायी [illegible] व लगातार [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] पाने [illegible] होता है। वादग्रस्त भूमि [illegible] स्थान 5748 वर्गगज 0.36 हेक्टेयर [illegible] कुल किता 1 कुल रकबा 0.36 हेक्टेयर [illegible] ग्राम बाकरकला तहसील [illegible] जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि [illegible] लगातार [illegible] का तोड़कर न करे। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नेकरार का होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/1/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner